



2026:AHC:4635

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 18786 वर्ष 2025

श्रीमती मेनका सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : बख्तियार युसूफ, रितेश सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बख्तियार यूसुफ और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी. के. श्रीवास्तव के तर्कों को सुना गया ।
2. मुख्य रूप से, इस रिट याचिका में दो आदेशों को चुनौती दी गई है, एक आदेश दिनांक 05.05.2025 को चौथे प्रतिवादी, तहसीलदार, तहसील जखानिया, जिला गाजीपुर द्वारा पारित किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का आय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है और दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2025 को जारी किया गया है।
3. न्यायालय ने पाया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, गाजीपुर द्वारा दिनांक 04.10.2025 को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या उक्त आदेश को चुनौती दी गई है या नहीं, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इसे एक अलग रिट याचिका में चुनौती दी गई है, हालांकि, एकमात्र शिकायत यह है कि चौथे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 05.05.2025 को पारित आय प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश याचिकाकर्ता को तामील नहीं कराया गया है। फिर भी, याचिकाकर्ता दिनांक 16.01.2026 तक चौथे प्रतिवादी, तहसीलदार, तहसील जखानिया, जिला गाजीपुर से संपर्क करेगा और उनके अनुरोध पर, आदेश याचिकाकर्ता को तामील कराया जाएगा। दिनांक 05.05.2025 को आय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)